फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

बचनो बाई बनाम हरदीप सिंह व अन्य

प्रकरण संख्या 2023/100

online #

अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आरटीए

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
19.07.2023	वादी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तरा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 16 अगस्त, 2023 को पेश हो.	
16/8/23	आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/9/23 को पेश हो।	
25/10/23	आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/10/23 को पेश हो।	
25/10/23	आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/11/23 को पेश हो।	
29-11-23	आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-12-23 को पेश हो।	
22/12/23	आज पीठासीन अधिकारी [illegible] व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-1-24 को पेश हो।	
23-1-24	आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-2-24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

07/01/25 अधिवक्तागण उप० जवाब राजपत्र प्राप्त, शामिल पत्रावली किया गया।

आज पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य से [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/01/25 को पेश हो।

27/01/25 अधिवक्तागण उप० [illegible] [illegible] बहस हेतु दिनांक 25/02/25 को पेश हो।

25-2-25 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/3/25 को पेश हो।

17-3-25 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/4/25 को पेश हो।

23/4/25 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/5/25 को पेश हो।

30/5/25 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/6/25 को पेश हो।

02/06/25 अधिवक्ता आपत्ती उप० बहस सुनी गई। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 10/06/25 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

10/06/25 अधिवक्ता [illegible] राजस्थान [illegible] जाता है विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखाया जाकर जारी किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा [illegible] [illegible] प्रस्तुत किया गया [illegible] [illegible] जाती है। पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] की जाकर [illegible] [illegible] के [illegible]।

1

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 100/2023
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. बचनो बाई पत्नी नत्था सिंह जाति रायसिख निवासी 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

...वादिया

ब ना म

1. हरदीप सिंह पुत्र श्री नत्था सिंह निवासी 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. गेजा सिंह पुत्र श्री नत्था सिंह निवासी 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. परी पुत्री रेशमा नाबालिग कुदरती वली माता रेशमी निवासी च 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर
सत्यमेव जयते

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (वादिया)
श्री सतपाल सिंह (प्रतिवादी 01 ता 03)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 04)

दिनांक:– 10.06.2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीया के पुत्र जोगेन्द्र सिंह पुत्र नत्था सिंह को वादीया द्वारा खरीद कर चक 2 डी बड़ी मुरब्बा नम्बर– 48 किला नम्बर– 5/2 में 0.0700 हैक्टे0, 6/1 में 0.1260 हैक्टे0, 7 में 0.253 हैक्टे0, 8 में 0.253 हैक्टे0, 9 में 0.253 हैक्टे0, 10/2 में 0.0290 हैक्टे0 कुल 0.9840 हैक्टे0 रकबा खरीद कर दिया था जो उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीया गावं 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की स्थाई निवासी है। वादीया का पेशा खेती है। खेती करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती है तथा वादीया द्वारा प्रतिवादीगण संख्या – 01 व 02 के नाम भी चक 2 डी बड़ी खाता संख्या– 70/33 मुरब्बा नं– 48 में 2.951 हैक्टे0 रकबा वादीया व प्रतिवादीगण संख्या– 01 व 02 के नाम दर्ज है। वादीया का लड़का जोगेन्द्र सिंह का स्वर्गवास हो गया है उनके नाम वादीया ने रकबा खरीद कर चक 2 डी बड़ी मुरब्बा नं.– 47 में 0.9840 हैक्टे0 रकबा दर्ज है जो वादीया द्वारा जोगेन्द्र सिंह के नाम करवाया था। जोगेन्द्र सिंह का स्वर्गवास हो गया है हालांकि जोगेन्द्र सिंह की विधिवत शादी नहीं हुई थी लेकिन प्रतिवादी संख्या– 03 की माता के साथ लिव–इन–रिलेशनशिप से एक लड़की पैदा हुई जो प्रतिवादी संख्या– 03 है तथा रिलेशनशिप के साथ जो रेशमा साथ रहती थी। जोगेन्द्र सिंह दिनांक– 10.08.2007 को स्वर्गवास हो गया है उसके मरने के बाद तमाम जमीन वादीया के कब्जा में है क्योंकि प्रतिवादी संख्या– 03 की माता ने आगे शादी कर ली है इसलिए उसका वादीया के लड़के की जमीन में अब हक व हिस्सा नहीं रहा तथा ना ही वह विधिवत जोगेन्द्र सिंह की पत्नी थी इसलिए उसका [illegible] जमीन में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता। अब प्रतिवादी संख्या– 03 [illegible] के मन में बदनीति आ गयी है तथा इस बदनीति की वजह से वह वादीया के कब्जा [illegible] करने में उतारू है तथा ऐलानिया धमकी देती है कि मैं इस जमीन को आगे बेचा [illegible] दूंगी। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस वादीया है। प्रतिवादी संख्या– 03 की माता का कोई अधिकार नहीं है कि वह वादीया के कब्जा पर किसी प्रकार से दखलंदाजी व बाधा उत्पन्न करे मगर प्रतिवादी संख्या– 03 की माता कानून को अपने हाथ में लेकर कब्जा करने की कोशिश कर रही है इसलिए वादीया अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वाद लाने की अधिकारी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जोगेन्द्र सिंह की वारिस अकेली वादीया है वारिस होने के नाते वादीया अपने अधिकारों की घोषणा के लिए चक 2 डी बड़ी खाता संख्या– 39/107 मुरब्बा नम्बर– 48 किला नम्बर– 5/2 में 0.0700 हैक्टे0, 6/1 में 0.1260 हैक्टे0, 7 में 0.253 हैक्टे0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

8 में 0.253 हैक्टे0, 9 में 0.253 हैक्टे0, 10/2 में 0.0290 हैक्टे0 कुल 0.9840 हैक्टे0 रकबा का अपने नाम खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है क्योंकि वादीया अपने नाम राजस्व रिकार्ड में करवाने की हकदार है। वादीया के लड़का जोगेन्द्र सिंह की हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत शादी नहीं हुई बल्कि दोनो का रिलेशनशिप के अनुसार वादीया के लड़के जोगेन्द्र सिंह के साथ रहने लगी जिससे प्रतिवादी संख्या– 03 पैदा हुई। रिलेशनशिप के अनुसार उसका भूमि पर कोई अधिकार नहीं बनता तथा वादीया अकेली वारिस होने के नाते तमाम भूमि अपने नाम करवाने की हकदार है। प्रतिवादीया संख्या– 03 की माता द्वारा दो दिवस पहले जमीन में कब्जा करने की कोशिश की तो वादीया ने उसे रोका तथा प्रतिवादीया संख्या– 03 की माता के साथ 3–4 आदमी ओर थे उन्होने कहा कि यह जमीन मेरी है तथा मेरे कब्जा में है तथा मैने फसल काश्त कर रखी है जिससे प्रतिवादी रेशमा और अन्य वहां से चले गये लेकिन रेशमा द्वारा धमकी दी कि फिर मौका लगने पर हम जमीन पर कब्जा करके रहेगें क्योंकि प्रतिवादी संख्या– 03 की माता चालाक है और वह किसी भी समय कानून को अपने हाथ में लेकर कोई भी वारदात कर सकती है इसलिए वादीया को वाद लाने के अलावा ओर कोई रास्ता नहीं है। यही बिनाय दावा है। वादग्रस्त भूमि चक 2 डी बड़ी की है जिसमें लैण्ड होल्डर प्रतिवादी संख्या– 04 है इसलिए उसे बाद में पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त भूमि चक 2 डी बड़ी की है जो जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है। वाद अन्दर मियाद है। वाद 2/– रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है। लिहाजा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद निम्न प्रकार से डिग्री किया जावेः– 1. इस अमर की डिग्री जारी की जावे कि चक 2 डी बड़ी खाता संख्या– 39/107 मुरब्बा नं.– 48 की किला नं. 5/2 में 0.0700 हैक्टे0, 6/1 में 0.1260 हैक्टे0, 7 में 0.253 हैक्टे0, 8 में 0.253 हैक्टे0, 9 में 0.253 हैक्टे0, 10/2 में 0.0290 हैक्टे0 कुल 0.9840 हैक्टे0 रकबा का वादीया को खातेदार घोषित करके राजस्व रिकार्ड में खातेदार घोषित किया जावे। 2. इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 2 डी बड़ी मुरब्बा नम्बर– 48 में किला नम्बर– 5/2 में 0.0700 हैक्टे0, किला नम्बर– 6/1 में 0.1260 हैक्टेयर, 7 में 0.253 हैक्टेयर, 8 में 0.253 हैक्टे0, 9 में 0.253 हैक्टे0, 10/2 में 0.0290 हैक्टे0 कुल 0.9840 हैक्टेयर रकबा की कब्जा काश्त की भूमि व पानी की बारी में दखलदांजी ना करे। 3. अन्य दादरसी जो न्यायालय उचित समझे वादीया को दिलायी जावे।

दिनांक 28.03.2024 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की स्व प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वदिया की शिनाख्त अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तरा एंव प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री सतपाल सिंह द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यों के अनुसार उक्त अनवान का दावा जनाबवाला की अदालत में विचाराधीन है जिसमें वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बीच में आपस में राजीनामा हो गया है। राजीनामा के आधार पर वाद का निर्णय किया जावे राजीनामा में निम्नलिखित शर्ते तय हुई हैः– वादीया का लडका जोगेन्द्र सिंह पुत्र नत्था सिंह को वादीया ने उसके नाम चक 2 डी बडी, मुरब्बा नं. 48, किला नं. 5/2 में 0.0700 हैक्टे0, किला नं. 6/1 में 0.126 हैक्टे0, किला नं. 7 में 0.253 हैक्टे0, किला नं. 8 में 0.253 हैक्टे0, किला नं. 9 में 0.253 हैक्टे0, किला न. 10/2 में 0.0290 हैक्टे0 कुल 0.9840 हैक्टे0 रकबा खरीद कर वादीया ने अपने लडकें जोगेन्द्र सिंह के नाम दर्ज करवाया। इसी तरह से वादीया ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को भी चक 2 डी बड़ी खाता संख्या 70/33, मुरब्बा नं. 48 में 2.951 हैक्टे0 प्रतिवादीगण को खरीद कर दिया था, जो उनके नाम दर्ज है। वादीया का लडका जोगेन्द्र सिंह का स्वर्गवास हो गया है, जिसमें नाम चक 2 डी बडी मुरब्बा नं. 48 में 0.9840 हैक्टे0 रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। [illegible] सिंह का स्वर्गवास होने के बाद हालांकि जोगेन्द्र सिंह की विधिवत रूप से शादी [illegible] थी, लेकिन प्रतिवादी संख्या 03 की माता के साथ लिव–इन–रिलेशनशिप से एक लड़की [illegible] हुई, वह प्रतिवादी संख्या 03 है तथा रिलेशनशिप के साथ जो रेशमा साथ रहती थी, जो[illegible] सिंह दिनांक 10–08–2017 को स्वर्गवास हो गया तथा जमीन का कब्जा वादीया के पास है। वादीया ने तमाम जमीन अपने नाम करवाने का दावा किया था जिसमें पंचायत के आद[illegible] द्वारा इनका आपस में राजीनामा करवा दिया है। इस राजीनामा के तहत जो जोगेन्द्र सिंह पुत्र नत्था सिंह के नाम चक 2 डी बड़ी मुरब्बा नम्बर 48 किला नं0 5/2 में 0.0700 हैक्टे0 किला नं. 6/1 में 0.126 हैक्टे0, किला नं. 7 में 0.253 हैक्टे0, किला नं. 8 में 0.253 हैक्टे0, किला नं. 9 में 0.253 हैक्टे0, किला न. 10/2 में 0.0290 हैक्टे0 कुल 0.9840 हैक्टे0 रकबा जो जोगेन्द्र सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें से चक 2 डी बड़ी मुरब्बा नम्बर 48 के किला नं0 6/1 में 0.126 हैक्टे0 व किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

में 0.253 हैक्टे कुल 1.10 बीघा रकबा प्रतिवादी संख्या 03 परी नाबालिग कुदरती वली रेशमा रानी निवासी 2 डी बड़ी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तो वादीया एवं प्रतिवादी 01 व 02 को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा उपरोक्त रकवा की हकदार व मालिक वादीया संख्या 03 होगी। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का उपरोक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं होगा और ना ही उनके उत्तराधिकारियों का कोई हक व अधिकार होगा। वादीया ग्राम चक 2 डी बड़ी के खाता संख्या 39/107, मुरब्बा नम्बर 48, किला नं0 5/2 में 0.0700 किला नं. 8 में 0.253 हैव0, किला नं. 9 में 0.253 हैव0, किला न. 10/2 में 0.0290 हैव0 2 बीघा रकबा की हकदार वादीया बचन कौर पत्नी नत्था सिंह जाति रायसिख निवासी 2 बड़ी ओड़की की हकदार होगी व राजस्व रिकार्ड में बचनो कौर के नाम दर्ज किया जावे तो वादी संख्या 01 ता 03 को कोई एतराज होगा, ना ही भविष्य में प्रतिवादीगण एतराज करने के हकदार होंगे। उक्त राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो पक्षकारान को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं होगा। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 03 परी नाबालिग जरिये कुदरती वली रेशमा रानी निवासी 2 डी बड़ी के नाम चक 2 डी बड़ी मुरब्बा नम्बर 48 किला नं0 6/1 में 0.126 हैक्टे0 व किला नं. 7 में 0.253 हैक्टे0 कुल 1.10 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तो वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को कोई एतराज नहीं होगा व वादीया चक 2 डी बड़ी खाता संख्या 39/107 मुरब्बा नम्बर 48 किला नं0 5/2 में 0.0700 हैक्टे0 व किला नं. 8 व 9 सालम, किला नं0 10/2 में 0.0290 हैक्टे0 कुल 2 बीघा यानि 0.605 हैक्टे0 रकबा की हकदार होगी। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्तानुसार राजीनामा तस्दीक किया

दिनांक 07.01.2025 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 2 डी बड़ी, पटवार हल्का ओड़की, भू0. अभि0 नि0 क्षेत्र हिन्दूमलकोट, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर पक्षकारान प्रश्नगत कृषि भूमि का मुताबिक राजीनामा विभाजन करवाने के अधिकारी है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है।

आदेश

वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादिया स्वीकार किया जाकर वादिया बचनो बाई पत्नी नत्था सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 03 परी पुत्री रेशमा नाबालिग कुदरती वली माता रेशमी को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 28.03.2024 के अनुसार वादिया बचनो बाई पत्नी नत्था सिंह को चक 2 डी बड़ी खाता संख्या 39/107 मुरब्बा नम्बर 48 किला नं0 5/2 में 0.0700 हैक्टे0 व किला नं. 8 व 9 सालम, किला नं0 10/2 में 0.0290 हैक्टे0 कुल 2 बीघा यानि 0.605 हैक्टे0 रकबा नहरी कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 03 परी पुत्री रेशमा नाबालिग कुदरती वली गाता रेशमी को चक 2 डी बड़ी मुरब्बा नम्बर 48 किला नं0 6/1 में 0.126 हैक्टे0 व किला नं. 7 में 0.253 हैक्टे0 कुल 1.10 बीघा नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

अतः तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने व किसी प्रकार की राजस्व हानि होती है तो उसकी पूर्ति हेतु नियमानुसार स्टाम्प/पंजीयन शुल्क प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं

...वेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प ...तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

...निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ...नांक 10.06.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 100/2023
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. बचनो बाई पत्नी नत्था सिंह जाति रायसिख निवासी 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

....वादिया

ब ना म

1. हरदीप सिंह पुत्र श्री नत्था सिंह निवासी 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. गेजा सिंह पुत्र श्री नत्था सिंह निवासी 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. परी पुत्री रेशमा नाबालिग कुदरती वली माता रेशमी निवासी च 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री ओमप्रकाश बत्तरा	(वादिया)
	श्री सतपाल सिंह	(प्रतिवादी 01 ता 03)
	राज पैरोकार	(प्रतिवादी 04)

दिनांकः– 10.06.2025

वादपत्र संख्या 100/2023
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादिया अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तरा तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 अधिवक्ता श्री सतपाल सिह एवं पैरोकार राज प्रतिवादी– 04 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादिया स्वीकार किया जाकर **वादिया बचनो बाई** पत्नी नत्था सिंह को चक 2 डी बड़ी खाता संख्या 39/107 मुरब्बा नम्बर 48 किला नं0 5/2 में 0.0700 हैक्टे0 व किला नं. 8 व 9 सालम, किला नं0 10/2 में 0.0290 हैक्टे0 कुल 2 बीघा यानि 0.605 हैक्टे0 रकबा नहरी कृषि भूमि का तथा **प्रतिवादी संख्या 03** परी पुत्री रेशमा नाबालिग कुदरती वली गाता रेशमी को चक 2 डी बड़ी मुरब्बा नम्बर 48 किला नं0 6/1 [illegible] हैक्टे0 व किला नं. 7 में 0.253 हैक्टे0 कुल 1.10 बीघा नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण में हुये व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10 जून, 2025 को जारी की गयी.

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested